GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH



THE HIMACHAL PRADESH RIGHT TO INFORMATION RULES, 2006

(As Amended upto 31ST December, 2007)

Department of Administrative Reforms
Himachal Pradesh Government
Shimla -171002

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH



THE HIMACHAL PRADESH RIGHT TO INFORMATION RULES, 2006

(As Amended upto 31ST December, 2007)

Department of Administrative Reforms
Himachal Pradesh Government
Shimla -171002

हिमांचल प्रदेश सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग प्रशासनिक कि अ

शिमला-2, 21 जनवरी, 2006

के अभाम के कार्य कर के हिंदी के किया क्षेत्रिय कर्षीक्षानी प्राप्त आकार कराए (६) अधिसूचना कर्म क्षितिक अवैतिकि कार्य के समस्ती अधिसूचना

संoपीoईoआरo(एoआरo)एफ (7) 2/98 वोलo—I.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2005 का 22) की धारा 27 की उप—धारा (2) के खण्डों द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात ;—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्म.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 है ।
 - (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होंगे ।
 - 2. परिभाषाएं.-(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "अधिनियम" से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 2005 का 22) अभिप्रेत है;
 - (ख) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;
 - (ग) "धारा" से अधिनियम की धारा_अभिप्रेत है ;
 - (घ) "परिशिष्ट" से इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट अभिप्रेत है ।
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, के वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में कमशः उनके हैं।
- 3. सूचना प्राप्त करने बारे आवेदन.—(1) कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन सूचना प्राप्त करना चाहता है तो वह नियम 5 में विहित फीस सिहत जन सूचना अधिकारी / सहायक जन सूचना अधिकारी को प्ररूप—"अ" में आवेदन करेगा और जन सूचना अधिकारी / सहायक जन सूचना अधिकारी सम्यक रूप से इसकी पावती देगा और इसकी विशिष्टियां परिशिष्टि—I में इस प्रयोजन हेतु अनुरक्षित आवेदन रिजस्टर के भाग—1 में दर्ज की जाएगी:—

परन्तु यह कि यदि आवेदक द्वारा लिखित रुप से किए गए अनुरोध में विशिष्टियां दी गई हो तो सूचना के लिए इस आधार पर इन्कार नहीं किया जाएगा कि आवेदन निर्धारित प्रपन्न पर नहीं है।

- (2) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आवेदक के मामले के सिवाय, आवेदन तभी स्वीकृत किया जाएगा यदि वह नियम 5 में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित फीस के संदाय के समर्थन में सम्बन्धित विभाग/लोक प्राधिकारी को देय मांगदेय ड्राफट या चालान या भारतीय पोस्टल आर्डर सिहत संलग्न होगा। प्रत्येक विषय और प्रत्येक वर्ष जिससे सूचना सम्बन्धित है, की बावत पृथक आवेदन किया जाएगा।
- (3) जब मांगी गई सूचना तैयार हो और यदि कोई अतिरिक्त फीस का संदाय अपेक्षित हो, तो जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी आवेदन पर दिए गए पते पर आवेदक द्वारा संदत की जाने वाली अतिरिक्त फीस प्ररूप 'अ' में विनिंदिष्ट करते हुए, तथ्य से सूचित करेगा। भेजी जाने वाली सूचना की विशिष्टियां आवेदन रजिस्टर के भाग—2 में अंकित की जाएगी।
- (4) जब सूचना तैयार हो जाए तो, जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी आवेदक को प्ररूप 'इ' में सूचना देगा।
- (5) · उप—िनयम (4) के अधीन दी गई कोई भी सूचना कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध भाषा में होगी।
- 4. अमिलेख का निरीक्षण.—(1) कोई व्यक्ति जो धारा 4 के अधीन आवेदन करने से पहले अभिलेख का निरीक्षण करना चाहता है तो वह जिस प्रयोजन के लिए अभिलेख का निरीक्षण किया जाना है को उपदर्शित करते हुए, प्ररूप 'ई' में आवेदन करेगा:

परन्तु यह कि यदि आवेदक द्वारा लिखित रूप से किए गए अनुरोध में आवश्यक विशिष्टियां दी गई हो तो सूचना के लिए इस आधार पर इन्कार नहीं किया जाएगा कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर नहीं है।

IFTE FINE OF FIFTHER OF THE PARTY OF THE PAR

- (2) जन सूचना अधिकारी / सहायक जन सूचना अधिकारी द्वारा परिशिष्ट-।। में दियै गए प्ररूप में एक निरीक्षण रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा और उसमें आवेदन तथा निरीक्षण सम्बन्धी ब्यौरों का अभिलेख रखा जाएगा।
- (3) निरीक्षण के दौरान आवेदक किसी अभिलेख / दस्तावेज की कोई फोटो इत्यादि नहीं लेगा।
- (4) यदि अधिनियम की धारा 8 व 9 के अधीन अभिलेख का निरीक्षण अस्वीकार किये जाने के सिवाए जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी नियम 5 में विहित आपेक्षित फीस के संदाय पर निरीक्षण की अनुमति देगा।
- 5. फीस प्रभार.-(1) राज्य सरकार द्वारा अवधारित गरीबी रेखा से नीचे आने वाले व्यक्तियों के सिवाय, जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी निम्नलिखित दरों पर सूचना प्रदान करने हेतू फीस लेगा, अर्थात :- अर्थात करने हेतू फीस लेगा, अर्थात :-

सचना का विवरण

मूल्य/फीस रूपये में

1. आवेदन सहित फीस

10 रूपये प्रति आवेदन कि प्रकेष आर्थित अवस्था के विभाग किस्ती समित है। यह उस अवस्था स्थाप किस्ती

2. जहां सूचना प्रकाशन मूल्य रूप में मुद्रित मूल्य पर उपलब्ध है। (दा) संस्था साहेत आपश्च की मार्थास्थ्या याच्या है, जिसके विकर्त अपीन की गड

3. प्रकाशित मूल्य से अन्यथा के लिए

ए-4 आकार या उससे छोटे पृष्ठ के लिए 10 रूपये प्रति पृष्ठ और बड़े आकार के पृष्ठ के लिए वास्तविक मूल्य न्यूनतम 20 रूपये के अध्यधीन ।

 जहां सूचना ईलैक्ट्रॉनिक स्वरूप में उपलब्ध है और ईलैक्ट्रॉनिक स्वरूप में दी जानी है जैसे फलौपी व सीडी इत्यादि।

determinate for \$15 moles name (control

THE MARKET THE SHAPE THE BOTTOM WITE THE SHAPE

50 रू० प्रति फलौपी व 100रू० प्रति सीडी।

THE STREET, WHERE STREET, SV

5. अभिलेख / दस्तावेज के निरीक्षण के 30 मिनट या उसके भाग के लिए 20 रू0 लिए फीस।

- (2) दी जाने वाली सूचना का प्रत्येक पृष्ठ आवेदक का नाम देते हुए (गरीबी रेखा से नीचे की हैसियत सहित) सभ्यक रूप से अधिप्रमाणित होना चाहिए, और उस पर सूचना देने वाले सम्बन्धित जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी के तारीख सहित हस्ताक्षर एवम् मुद्रा होनी चाहिए।
- (3) फीस/प्रभार राजकीय कोष में "0070—ओ०ए०एस०, 60—ओ०एस०, 800—ओ०आर०, 11—सूचना का अधिकार, अधिनियम, 2005 के अधीन रसीद मुख्य शीर्ष में जमा किए जाएंगे । इस शीर्ष में प्रोदभवन, अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने हेतु सहायता अनुदान के रूप में पृथक निधि में रखा जायेगा जिसके अन्तर्गत उपकरणों और खपने वाली वस्तु का क्रय, कर्मचारियों को प्रशिक्षण का उपबन्ध करना इत्यादि सम्मिलित है।
- 6. अपील प्राधिकारियों के समक्ष अपील की प्रकिया.—(1) अपील की विषय वस्तु— अपीलीप्राधिकारी/आयोग को अपील के ज्ञापन में निम्नलिखित सूचना अन्तर्विष्ट होगी, अर्थात :—
 - (i) अपीलार्थी का नाम व पता ;
 - (ii) जन सूचना अधिकारी का नाम व पता जिसके निर्णय के बिरूद्ध अपील दायर की गई है :
 - (iii) संख्या सहित आदेश की विशिष्टियां यदि कोई हो, जिसके विरूद्ध अपील की गई है ;
 - (iv) अपील में जाने के लिए संक्षिप्त तथ्य ;
 - (v) यदि अपील नामंजूर समझे जाने के विरूद्ध दायर की गई है तो संख्या और तारीख सहित आवेदन की विशिष्टियां और जनसूचना अधिकारी का नाम व पता जिसे आवेदन किया गया था ;
 - (vi) मांगा गया अनुतोष या प्रार्थना :
 - (vii) अनुतोष या प्रार्थना हेतु आधार ;
 - (viii) अपीलार्थी द्वारा सत्यापन ; और
 - (ix) अन्य कोई सूचना जो आयोग अपील विनिश्चित करने हेतू आवश्यक समझें।

- (2) अपीलार्थी अपील के ज्ञापन की दो प्रतियां कार्यालय प्रयोजन हेतु प्रस्तुत करेगा।
- (3) अपील प्राधिकारी/आयोग को की गई प्रत्येक अपील निम्नलिखित दस्तावेजों सहित होनी चाहिए,—अर्थात :-
 - (i) आदेशों या दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियां जिसके विरूद्ध अपील दायर की जानी है;
 - (ii) अपीलार्थी द्वारा अपील में निर्दिष्ट किये गये विश्वसनीय दस्तावेजों की प्रतियां ;
 - (iii) अपील में निर्दिष्ट किए गए दस्तावेजों की अनुक्रमणिका।
- (4) जब अपील प्राधिकारी/आयोग अभिलेख की मांग करेगा वह किसी भी दशा में 10 दिनों के भीतर यदि अपेक्षित हो तो अभिलेख की एक अधिप्रमाणित प्रति रखते हुए, मूल अभिलेख वापस ब्ल्स देगा।

(अ) व्या आयेदक गरीकी ऐसा से कीसे का परिवार कोने की दानत छट का पुरा

- (5) सुनवाई की तारीख पर या अन्य किसी दिन, जिसको सुनवाई स्थिगत की गई थी, पक्षकार अपीलप्राधिकारी/आयोग के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। यदि अपीलार्थी ऐसी तारीख पर उपस्थित होने में असफल रहता है तो अपील प्राधिकारी/आयोग स्विववेकानुसार या तो अपील खारिज कर देगा या गुणागुण आधार पर एकपक्षीय विनिश्चय देगा।
- (6) अपील प्राधिकारी/आयोग की अनुमित के सिवाय, अपीलार्थी किन्हीं आक्षेपों के आधार के समर्थन में जो कि ज्ञापन में नहीं दिया गया है, को न तो बताएगा और न ही सुना जाएगा, परन्तु अपील प्राधिकारी/आयोग को अपील का विनिश्चिय करते समय स्वयं को ज्ञापन में दिए गए आक्षेपों के आधार तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं होगी:

परन्तु यह कि अपील प्राधिकारी/आयोग का विनिश्चय ज्ञापन में विनिर्दिष्ट से अन्यथा किसी आधार पर नहीं होगा, जब तक कि इससे प्रभावित होने वाले पक्षकार को अपील प्राधिकारी/आयोग द्वारा सुनवाई का अवसर न दिया जाए।

(7) आयोग अपनी दिन-प्रतिदिन की कार्यावाहियों की बावत अपने विनियम बना सकेगा।

हर अविद्या प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार ।

[नियम-3 (1) देखें],

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना के लिए आवेदन । सेवा में,

	जनसूचना अधिकारी / सहायक जनसूचना अधिकारी,
TO SUL	उस विभाग का नाम जिससे सूचना वांछित है)
	क) सूचना की विषय वस्तु
(ख) अवधि जिससे सूचना सम्बन्धित है मास और वर्ष
(ग) अपेक्षित सूचना का विवरण
(घ) <u>नस्ति संख्या यदि उपलब्ध हो जन्मका क्रान्ति ज्ञानिक क्रिक</u> (111)
(क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का परिवार होने की बाबत छूट का दावा
	करता हैं, यदि हां, तो उसका प्रमाण पत्र संलग्न करें।
(व) मांगदेय ड्राफट या चालान या भारतीय पोस्टल आर्डर, राशि और तारीख की
	विशिष्टयां ।
	आवेदक,
	कि सम्बंध अपने कार्य
	FOR THE LOS TOP THE PER VALUE OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART
III ZIPE	व्हरभाष संख्या
	्रामित अवस्थिति स्वतिवासम् प्रथम सामान्य स्थापना वाद वाद अस्थानिक स्थापन स्थापन
	मिल्ला अभिस्वीकृति । अभिस्
आपका मांगदेय	तारीख को किया गया आवेदन मुबलिक रुपयेके ड्राफट/चालान/भारतीय पोस्टल आर्डर, सहित दैनिदनी संख्या द्वारा प्राप्त हुआ।
	The state of the s

इस्ताक्षर प्रकार जनस्मान । जनसम्बद्धाः हस्ताक्षर

जनसूचना अधिकारी। सहायक जनसूचना अधिकारी। विभाग/लोक प्रधिकारी का नाम। ान कारों दिस्स कार्य के किस्ताविक के किस्ताविक के किस्ताविक किस्त

[नियम 3 (3) देंखें]

	det
जनसूचना अधिकारी / सहायकं जनसूचना	
विभाग	
on the second was all receive their section of the party of	
आवेदक का नाम और पता	万图0
THE RESERVE THE RESERVE THE RESERVE	
आवेदन संख्यातारीख	
ार्थित संस्था प्राप्त का निर्माण कर्मा कर्माण क	: 47-10
कृपया उपरोक्त निर्दिष्ट आपके आवेदन तारीखका अवलोकन करें	। आप द्वारा
मूचना पृष्ठ की है और मुद्रित प्रकाशन की लागतरुपये	है। इस
e de juite de le simplifie de la company de	
आपसे उपरोक्त अतिरिक्त फीस की राशि विभाग/लोक प्राधिकारी	को संदेय
्रा आहेर व	
यदि उदगृहीत अतिरिक्त फीस की राशि से आपका समाधान नही	होता है तो
० दिन भीतर अपील करने का अधिकार होगा।	
THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1988	
जनसूचना अधिकारी / सहायक जनसूचना अधिक	कारी
दूरभाष संख्या	
	अधिकारी का पदनाम [विभाग

प्ररूप– 'इ'

प्ररूप— 'इ' [नियम 3 (3) और 6 (i)देखें]

	CASCRELATED A LINE OF LA		The state of the s	7 - 1
प्रेषक				1017
	जनसूचना अधिकारी/सह	किन्ने प्रस्ति क्रिका	मनपूरमा अधिकारी / सा	
	अधिकारी का पदनाम	144) अनसूबना	मान्त्रम का विकास	
		ot state of the	par61)	
	[विभाग			1997
प्रेषित,	which shall she been		अध्यक्ष का नाम और प	
	आवेदक का नाम और पत	T		
		· 計画性 20 時報	R CIA INSII FEARE	
सन्दर्भ :	आवेदन संख्या	.तारीख		
विषय:-	La Branca			क्रश्रीता
			क्षाया प्रमुक्त निर्दिष्ट	
महोदय,	क्रिक क्रिका कि ।	काकप्र छड़ीए और	者 唐 ay	
THE REAL	कृपया आपके आवेदन तार्र	ोखके	सन्दर्भ में अवलोकन करें	In mag
1.00	सहिद्धिक स्वीत्र जना करवानी ।		forms to a fixtu	IVE AT
	आप द्वारा अपेक्षित सूचना तै			
के किसी	भी कार्य–दिवस पर अपराह्न	12.00 से 3.30 बजे	तक सूचना प्राप्त करने	का निदेश
	BI WE SAID SAID WHO			
		IN HER STEED TO STEED SHE	িলাটপ্রাধান গাঁট কর	Idas to SIR
		जनस्त्रना अधिकारी	/सहायक जनसूचना अर्भ	होकानी
112 25 117	is the proper tables of		S. Williams C. Land Co. Bridge St. Bridge St	
		दूरमाव सख्या	the section of the se	ा किस्स
			Providence of the Control of the Con	
	encoller amount of the second			

BOTTON THOUS IN SECTION

प्ररूप 'ई'

[नियम-4 (1) देखें]

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन निरीक्षण के लिये आवेदन।

	-	
-		-
и	ΙN	-

जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी (उस विभाग का नाम जहां पर निरीक्षण करना चाहते हैं)

- (क) सूचना की विषयवस्तु
- ख) अवधि, जिससे सूचना सम्बन्धित हो। मास और वर्ष

द्वारा भेजी गई है उसकी विकिस्टर्गा और राशिख

- (ग) अपेक्षित सूचना का विवरण
- (घ) नस्ति संख्या (यदि उपलब्ध हो)
- (ड.) क्या आवेदक छूट का दावा करता है, जैसे गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से सम्बन्धित है यदि हां तो उसका प्रमाण संलग्न करें।

न्।।।

E 1910

(च) मांगदेय ड्राफट या चालान या भारतीय पोस्टल आर्डर की संख्या, रकम और

आवेदक,

परिशिष्ट-।

[(65(f) 無明明)(c)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन' सूचना के लिए आवेदन रजिस्टर

भाग-1

1	2	3	4	5	6	7	(1) 8
क्र. सं.	आवेदक का नाम व डाक का पूरा पता	क्या गरीबी रेखा से नीचे का है	आवदेन प्राप्त करने की तारीख	प्रयोगिक तारीख जिसको अभिलेख तैयार होगा	ढंग जिसके द्वारा सूचना भेजी जानी है	मांगदेय ड्राफट या चालान या भारतीय पोस्टल आर्डर की संख्या, रकम और तारीख	जनसूचना अधिकारी / सहायक जनसूचना अधिकारी के हस्ताक्षर

भाग-2

जब सूचना तैयार होगी वास्तविक तारीख	वास्तविक पृष्ठों की संख्या	अतिरिक्त फीस की राशि	यदि सूचना व्यक्तिगत रूप से दी गई है, तो प्रमाणस्वरूप तारीख सहित आवेदक के हस्ताक्षर या यदि सूचना डाक द्वारा भेजी गई है उसकी विशिष्टयां और तारीख	जन सूचना अधिकारी / सहायक जन सूचना अधिकारी के हस्ताक्षर
9	10	11	12	13

THE THE THE PROPERTY OF THE PR

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन निरीक्षण रजिस्टर

郊O HiO	आवेदक का नाम व पुरा डाक पता	क्या गरीबी रेखा से नीचे का	सूचना की विषयवस्तु	निरीक्षण किये जाने वाले अभिलेख की विशिष्टियां	लिया गया समय से तक	प्रभारित फीस की रकम	आवेदक के हस्ताक्षर	जनसूचना अधिकारी / सहायक जनसूचना अधिकारी द्वारा खज़ाने में जमा	जनसूचना अधिकारी / सहायक जनसूचना अधिकारी के हस्ताक्षर
Moent	AP off's	ioliao s	es may b	These nu	r)—taoi	mencer 2006	and con	किए गए मांगदेय	1). Pradesh Rig
	Corporation			or the sent of deleters to the sent of the	Form C	della lini	totel and	ड्राफट या चालान या भारतीय	Tank Puon
None of	(5) Any	eerlupi	ir galvabyti	rāxelrijās er	g capping	Sun Sea	h af (ep-	मारताय पोस्टल आर्डर की विशिष्टियां	interior
1	200	0 3 0	d toll4listin	(C) 60°C ±	A 160m	nolity of h	giRgird a	nisamgicA'	10

- fo) 'section' means section of the Act,
- (d) Appendix means appendix appended to the rules
- (2) Words and expressions used but not defined in these rules; shall have the same meaning as assigned to them in the Act respectively.

in sponsor and a second of bacong mode a sessor mode. (d)

- Act shall make an application in Form A to the Public Information Officer/Assistant Public Information Officer according to the public Information Officer according to the public Information Officer according to the public Information Officer shall duty according the receipt thereof and at all enter the particulars in Part I of the Application Register maintained for the purpose in Americally 1.
- Provided that the information shell not be refused on the grounds that the application is nell in the prescribed form if the necessary particulars have been manifolded by the applicant by a request made in writing.

(4) Except it makestromen the report to deallower under section if any if of the Any

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla- 2, the 21st January, 2006

No. PER (AR) F (7)-2/98-Vol.I:— In exercise of the powers conferred by clauses to subsection (2) of section 27 of "The Right to Information Act, 2005" (Central Act No. 22 of 2005), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules for carrying out the purposes of the Act, ibid, namely;

- Short title and commencement.—(1) These rules may be called the "Himachal Pradesh Right to Information Rules, 2006."
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - Definitions.— (1) In these rules unless the context otherwise requires.—
 - (a) 'Act' means the Right to Information Act, 2005 (Central Act No. 22 of 2005);
 - (b) 'Form' means a form appended to these rules;
 - (c) 'section' means section of the Act:
 - (d) "Appendix' means appendix appended to the rules
- (2) Words and expressions used but not defined in these rules, shall have the same meaning as assigned to them in the Act respectively.
- 3. Application for seeking information.—(1) Any person seeking information under the Act shall make an application in Form 'A' to the Public Information Officer/Assistant Public Information Officer accompanied by fee prescribed in rule 5 and the Public Information Officer/Assistant Public Information Officer shall duly acknowledge the receipt thereof and shall enter the particulars in Part I of the Application Register maintained for the purpose in Appendix I:

Provided that the information shall not be refused on the grounds that the application is not in the prescribed form if the necessary particulars have been mentioned by the applicant by a request made in writing.

- (2) Except in the case of an applicant who is determined by the State Government as being below poverty line, the application shall be accepted only if is accompanied by a Demand Draft payable to the concerned Department /Public Authority or Challan or Indian Postal Order in support of payment of the requisite application fee as specified in rule 5. A separate application shall be made in respect of each subject and in respect of each year to which the information relates.
- (3) When the information sought for is ready and requires payment of additional fee, if any, the Public Information Officer/ Assistant Public Information Officer shall communicate to the applicant the fact in Form 'B' specifying the additional fee to be paid, on his address given in the application. The particulars of information being supplied shall be entered in Part II of the Application Register.
- (4) When the information is ready the Public Information Officer/Assistant Public Information Officer will inform the applicant in Form 'C'
- (5) Any information supplied under sub rule (4) shall be in the language available in the office record.
- 4. Inspection of record.— (1) Any person who seeks to inspect the record before making an application under Section 4 shall make application in form D for the purpose indicating the record to be inspected:

Provided that the information shall not be refused on the grounds that the application is not in the prescribed form if the necessary particulars have been mentioned by the applicant by a request made in writing.

- (2) An Inspection Register shall be maintained with the Public Information Officer/Assistant Public Information Officer in form given in Appendix-II and details of the application and inspection shall be recorded therein.
- (3) During inspection the applicant shall not take photographs etc. of the record/document.
- (4) Except if inspection of the record is disallowed under section 8 and 9 of the Act, Public Information Officer/Assistant Public Information Officer shall allow the inspection on payment of the requisite fee prescribed in rule 5.

5. Charging of fee.—(1) Except in the case of persons who are below poverty line as determined by the State Government, the Public Information Officer/ Assistant Public Information Officer shall charge the fee for supply of information at the following rates, namely:—

	Description of information	Price/Fees in Rupees
1.	Fee alongwith application	Rs.10 per application
2.	Where the information is available in the form of a priced publication.	On printed price
3.	For other than priced publication	Rs.10 per page of A-4 size or smaller and actual cost subject to minimum of Rs.20 per page in case of larger size.
4.	Where information is available in electronic form and is to be supplied in electronics form e.g. Floppy, CD etc.	Rupees 50 per floppy and Rs.100 per CD
5.	Fee for inspection of Record/document	Rs.20 per 30 minutes or fraction thereof.

- (2) Every page of information to be supplied shall be duly authenticated giving the name of the Applicant (including below poverty line status if that is the case), and shall bear the dated signatures and seal of the concerned Public Information Officer/Assistant Public Information Officer supplying the information.
- (3) Fees/Charges shall be deposited in a Government Treasury under the head of account "0070 - OAS, 60 - OS, 800 -OR, 11 - Receipt head under Right to Information Act, 2005". Accruals into this head of account may be placed in a separate fund by way of grant-in-aid for furthering the purposes of the Act, including purchase of equipment and consumables, providing training to staff etc.
- 6. Procedure in appeals before the Appellate Authorities.— (1) Contents of appeal.—
 The Memorandum of appeal to the Appellate Authority/Commission shall contain the following information, namely:—
 - (i) name and address of the appellant;
- (ii) name and address of the Public Information Officer against the decision of whom the appeal is preferred;
- (iii) particulars of the order including number, if any, against which the appeal is preferred;
 - (iv) brief facts leading to the appeal

- if the appeal is preferred against deemed refusal, the particulars of the application, including number and date and name and address of the Public Information Officer to whom the application was made;
- (vi) prayer or relief sought;
- (vii) grounds for the prayer or relief;
- (viii) verification by the appellant; and 1909/1017 THOM BIT
- (ix) any other information which the Commission may deem necessary for deciding the appeal.
- (2) The appellant shall submit two copies of the memorandum of appeal for official purpose.
- (3) Every appeal made to the Appellate Authority/Commission shall be accompanied by the following documents, namely:—
 - self attested copies of the Orders or documents against which the appeal is being preferred;
 - (ii) copies of documents relied upon by the appellant and referred to in the appeal; and
 - (iii) an index of the documents referred to in the appeal.
- (4) When the Appellate Authority/Commission may calls for the record, it shall in any case shall return the original record within 10 days after retaining an authenticated copy if required.
- (5) On the date of hearing or on any other day to which hearing may be adjourned, the parties shall put their appearance before the Appellate Authority/Commission. If the appellant fails to appear on such date, the Appellate Authority/Commission may in its discretion either dismiss the appeal or decide the matter ex-parte on merits
- (6) The appellant shall not, except by leave of the Appellate Authority /Commission, urge or be heard in support of any ground of objection which has not been set forth in the memorandum, but the Appellate Authority/Commission, in deciding the appeal, need not confine itself to the grounds of objection set forth in the memorandum:

Provided that the Appellate Authority/ Commission shall not rest its decision on any ground other than those specified in memorandum, unless the party likely to be affected thereby, has been given, an opportunity of being heard by the Appellate Authority/ Commission.

(7) The Commission may frame regulations in respect of its day-to-day proceedings.

[See rule-3 (1)]

APPLICATION FOR INFORMATION UNDER THE RIGHT TO INFORMATION ACT. 2005

	white or product the art or seasons are of the Appellate Autrority (Com	of an increase, and like the transport will
		Name_
(f)	Particulars of Demand Draft or Character.	s exalt of midliw initiation for days.
(e)	Whether the applicant claims exemp as below poverty line family, if yes, a	
(c) (d)	Description of the information require File No. if available	red sold and to adapte because the
(b)	Period to which the information relate Month & year	tes. A est glaban, laegua, vased e e documenta, anne e
(a)	Subject matter of the information	
lame	of the Department from which the info	ormation is sought)
e Pub	lic Information Officer/Assistant Publi	ic Information Officer,

Public Information Officer/
Assistant Public Information Officer
Name of the Department/Public Authority "

Form 'B'

[See rule 3 (3)]

			/ 1	
From				
	Designation of the			
	Public Information	Officer/Assistant F	Public en la monament	
	Information Officer	THE PRESENT	PUBLIC Information Chicking	
	[Department	tale of the order		
То			Department	
	(Name of the appli	cant)		
	Address of the app	dicant		
		and the		
Reference:	Application No	Dated		
Subject:				
Cubject.				
Sir,				
Tresellative voet en ex-	Please refer to your	application dated	referred to above. The	information
required by y	ou consists of pag	es and printed publi	cation cost Rs The ac	dditional fee
for supplying	this information to you	ı is Rs	In case you desire the inform	nation to be
sent to you b	y post, an additional ar	nount of Rs.	will need to be deposit	ed
2.	You are required to	pay the aforesaid	amount of the additional fee	by way of
Demand Draf	ft payable to the Depar	tment / Public Author	prity or deposit it through Challe	an or Indian
Postal Order	and send a copy to the	undersigned	only or deposit it through Chang	an or indian
	and sond a copy to the	undersigned.		
3.	If you are not satisfie	d with the amount	of additional factories	Applica
nrefer anneal	to note and the detailed	a with the amount t	of additional fee levied, you have	e a right to
prefer appear	to notice production of	_ within a period of	30 days.	
			Public Information Office	-14 1
			Public Information Office Public Information Office	ir/Assistan
				7.8.7.
			Tel No	

Form 'C'

[See rule 3(3) & 6 (i)]

From			Designation of the DA	
	Designation of the Public Information Officer/A Information Officer [Department_			
То		thy information		
(0)	(Name of the applicant) Address of the applicant.		Incompage of the employees Address of the applique	
Reference:	Application No	_dated		- Zangdui
Subject:				
Sir,			control of refer agency *	
	shoolion cost fis The s			
			and the Carlotte Committee of the	
	Please refer to your application	n dated	referred to above.	
2.	The information required by yo	ou is ready. Yo	ou are directed to collect the	e information
from the offic	e of the undersigned on any wor	rking day of the	e week during 12.00 to 3.30) p.m.
	and different a product of factor			
		bolvag e mitte	Public Information Officer Assistant Public Informati Telephone No.	
natales/Altec	Public information Officer		to a day of the second	
	Tel No.			

Form 'D'

[See rule-4 (1)]

APPLICATION FOR INSPECTION UNDER THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

(,,,,,,,	ne of the Department from which the inspe	BOACLE.		
(a)	Subject matter of the information	line (39E)	e Januarda Alamanda	
(b)	Period to which the information relates. Month & year		Por Ario	
(c)	Description of the information required			
(d)	File No. if available			
-	PART-E			
⇒ (e)	Whether the applicant claims exemption as below poverty line family, if yes, attac		И 570	ib lamo)
Signa		ch proof	n si del	seir stocke
81gra 91019	Particulars of Demand Draft or Challan	n or Indian	Postal Oro	seir stocke
Signa Plone	Particulars of Demand Draft or Challan	n or Indian	Postal Ord	ler No.

REGISTER OF APPLICATIONS FOR INFORMATION UNDER THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

Form 'D'

PART-I

SI No.	Name & full postal address of the applicant	all postal below reddress of poverty ap	Date of receipt of application	Tentative date on which the record would be ready	Mode by which the information is sent	Demand Draft or Challan or Indian Postal Order No., amount and date	Signature of PIO/APIO	
0							(d)	
1	2	3	4	5	6	7	8	

PART-II

Actual date when the information is ready		Amount of additional fee	post its particulars and date	Signature of PIO/APIO	
Implination of the particular	amal searchar	and many a	Part Internal Control of the Control	is an examination of the second of the secon	
9	10	11	12	13	

INSPECTION REGISTER

UNDER THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

SI. No.	Name & full postal address of the applicant	Whether below poverty line (BPL)	Subject matter of information	Particulars of record to be inspected	Time taken From to	Amount of Fee charged	Signature of applicant	Particulars of Demand Draft or Challan or Indian Postal Order deposited in the Treasury by PIO/ APIO	of PIO APIO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10